कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल–263001(उतराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL-263001 (UTTARAKHAND), INDIA **Office: 05942-236856 (Extn-328), Fax: 05942-235213 Email:caoresearchku@gmail.com & sriccku@gmail.com, Website:www.kunainital.ac.in**

Research Section

पत्रांक : **KU/RDC/SCHOL/2024-25/1898** दिनांक 28–8–2024

सेवा में,

1. परिसर निदेशक, डी0 एस0 बी0 परिसर, नैनीताल।
2. परिसर निदेशक, एस0 जे0 सी0 बी0 टी0 परिसर, भीमताल।
3. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त कुमाऊं विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय।

विषय: कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसरों एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों में पी0 एच0 डी0 में पंजीकृत शोधार्थियों को छात्रवृति प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय/महोदया,

कृपया संलग्न शासनादेश संख्या 221515/XXIV-C-2/2024-17(02)2023 दिनांक 02 जुलाई, 2024 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के माध्यम से कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसरों एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों में पी0 एच0 डी0 में पंजीकृत 26 शोधार्थियों को उल्लखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन रू 5,000/- प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस पत्र के माध्यम से आपसे निवेदन है कि आपके परिसर/महाविद्यालय में पंजीकृत/प्रवेशित NET/USET प्रमाण-पत्र धारक पी0 एच0 डी0 शोधार्थियों (जिन्हें किसी भी प्रकार की छात्रवृति/वेतन/आर्थिक सहयोग ना मिलता हो एवं किसी सरकारी/गैरसरकारी सेवा/व्यवसाय में नहीं हों) की सूचि निम्नलिखित प्रारूप में सम्बंधित विवरणों सहित एक सप्ताह के अंतर्गत (04 सितम्बर, 2024 तक) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करने की कृपा करें। कृपया ध्यान दें कि ऐसे शोधार्थी जिनसे पूर्व में भी इस छात्रवृति योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार का विवरण विश्वविद्यालय द्वारा दूरभाष / मेल / अथवा अन्य माध्यम से संग्रहित किया गया / माँगा गया है उनका सम्बंधित विवरण भी पुनः इस पत्र के प्रतिउत्तर में देना अनिवार्य है। इस छात्रवृति योजना हेतु पूर्व अथवा वर्तमान में किसी भी अन्य माध्यम द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। दिए गए समयावधि में उल्लखित विवरण ना मिलने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व सम्बंधित परिसर/महाविद्यालय का होगा एवं अंतिम तिथि के पश्चात परिसर/महाविद्यालय/शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी आवेदन पर विचार करना विश्वविद्यालय द्वारा संभव नहीं होगा।

भवदीय,

निदेशक
आर0 डी0 सी0

Campus/ College Name	Ph.D. Scholar's Name (Please also provide Mobile No. And E.MailId)	Department & Ph.D. Guide's Name	PG % or CGPA (Please attach a copy)	Year of appearing in Research Entrance Examination (Please provide Application No/Registration No.	Research Entrance Examination Final Marks Obtained	NET/USET Qualifying Year	NET/USET Marks/ Percentile/ Rank (Please attach a copy of certificate/Mark sheet)

संख्याः 221515 /XXIV-C-2/2024–17(02)2023

प्रेषक,

शैलेश बगोली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

Director, RDC | Project
Pl. action as per
directions. [signature]

Registrar
4/7/24

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्याधीन विश्वविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

2. निदेशक
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 02 ~~जून~~ जुलाई, 2024

विषयः उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों में पी0एच0डी0 में पंजीकृत शोधार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के मेधावी छात्र/छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध/अनुसंधान एवं नवाचार के अवसर प्रदान किये जाने के दृष्टिगत् उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों में पी0एच0डी0 में पंजीकृत शोधार्थियों में से 100 शोधार्थियों को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ₹5000/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:–

1. प्रस्तावित योजना हेतु 100 शोधार्थियों का विश्वविद्यालयवार संख्या निम्नवत् रहेगी:–

क0सं0	विश्वविद्यालय का नाम	शोधार्थियों की संख्या
1.	कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल	26
2.	सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा	26
3.	श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल	26
4.	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	12
5.	दून विश्वविद्यालय, देहरादून	10

2. योजनान्तर्गत 100 शोधार्थियों का चयन UGC/CSIR की नेट (NET) परीक्षा के प्राप्तांक एवं रैंक के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। नेट (NET) परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र के न मिलने पर पंजीकृत शोधार्थी के यूसेट (USET) के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जायेगा।
3. राज्य विश्वविद्यालय परिसर/राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों में संस्थागत/नियमित पीएचडी में पंजीकृत शोधार्थी ही उक्त योजनानतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
4. उक्त छात्रवृत्ति हेतु 100 शोधार्थियों का विश्वविद्यालय स्तर से चयन होने के पश्चात शोधार्थियों की सूची विश्वविद्यालय द्वारा निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी।
5. छात्रवृति हेतु चयनित शोधार्थियों को उनके शोधग्रंथ जमा करने की तिथि या अधिकतम 3 वर्ष तक जो पहले हो, तक छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी। छात्रवृत्ति हेतु चयनित शोधार्थियों को उसके कार्य की गुणवत्ता एवं मॉनिटरिंग के पश्चात ही अगले वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
6. किसी भी शोधार्थियों को एक से अधिक छात्रवृति (केंद्र या राज्य सरकार या अन्य समकक्ष योजना) देय नहीं होगी।
7. शोधार्थी किसी सरकारी/गैरसरकारी सेवा/व्यवसाय में नहीं होगा एवं संस्थागत/नियमित पीएचडी शोधार्थी के रूप में विश्वविद्यालय परिसर या महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज करायेगा।
8. प्रत्येक शोध का Outcome Evaluation audit सहित Qualitative & Quantitative Evaluation भी किया जायेगा।
9. प्रत्येक शोध को MPR (Monthly Progress Peport) से लिंक किया जायेगा।

2– योजनान्तर्गत वित्तीय प्रावधान पूर्व से प्रचलित **'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना'** हेतु निर्धारित आय–व्ययक के अनुदान संख्या 11 में राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–800–अन्य व्यय–17–एन0ई0पी0 के अन्तर्गत अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना–42–अन्य विभागीय व्यय मद के अन्तर्गत किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनु0–03, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटरजनित ई0 संख्या I/217048/2024 दिनांक 10 जून, 2024 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 01-07-2024 11:16:16

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या:221515 /XXIV-C-2/2024–17(02)2023, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– समस्त कुल सचिव, राज्याधीन विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
8– समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
10– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
11– वित्त अनु0–3 / नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12– संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
13– अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, 3 एवं 4 उत्तराखण्ड शासन।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Byomkesh Dubey
Date: 02-07-2024 14:34:03
(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।